1375
09/7/2021

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः–झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना हेतु सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी योजना का नाम परिवर्तित कर "सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास" करने, योजना की रूप–रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने के संबंध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी कार्य कराया जाता है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2002–03 से संचालित है। वर्तमान में संकल्प ज्ञापांक–1821, दिनांक–10.08.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक–1034, दिनांक–31.03.2017 के आलोक में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलनों के आधार पर खतियान में दर्ज सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी का कार्य लाभुक समिति द्वारा कराया जाता है।

योजना का कार्यान्वयन अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (ओ०एस०पी०) क्षेत्र में जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (टी०एस०पी०) क्षेत्र में परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० के देख–रेख में ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभुक समिति द्वारा कराया जाता है। चूँकि ये जनजातीय हित का कार्य है तथा आदिवासी विशेष समुदाय से संबंधित है, अतः लाभुक समिति में अन्य समुदाय के व्यक्तियों का समावेश नहीं होता है। जिन ग्रामों में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त परम्परागत ग्राम–प्रधान/मानकी मुण्डा/पाहन/मांझी हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित लाभुक समिति द्वारा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है।

इन पवित्र स्थलों में जनजातीय समुदाय के पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, अतः इन पवित्र स्थलों का सम्पूर्ण संरक्षण एवं विकास का कार्य किया जाना समीचीन है। इस क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इन पवित्र स्थलों के घेराबंदी के कार्य के आलावा उन स्थलों में आधारभूत संरचना का निर्माण यथा उठने–बैठने की व्यवस्था, सामग्रियों के संग्रहण, जलापूर्त्ति, जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन हेतु सौंदर्यकरण आदि की व्यवस्था कराया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जनजातीय संस्कृति को संजोए रखा जा सके।

2. <u>योजना का उद्देश्यः–</u> जनजातीय संस्कृति में सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना उनके धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक रीति–रिवाजों का एक केंद्र बिन्दु है। एक ओर जहां सरना स्थल एवं जाहेरस्थान जनजातीय समुदाय के लिए उनके प्रकृति पूजा/विधि–विधान से इष्टदेव की पूजा से जुड़ी हुई एक सांस्कृतिक धरोहर है वहीं दूसरी ओर मसना एवं हड़गड़ी उनके मृत्यु संस्कार का एक अभिन्न अंग है। विभाग द्वारा योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति से संबंधित पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना स्थलों

का संपूर्ण संरक्षण एवं विकास का कार्य किया जाना है, ताकि जनजातीय संस्कृति से जुड़े रीति–रिवाजों, स्थलों आदि को अक्षुण्ण रखा जा सके और इन स्थलों को जनजातीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में विकसित कर संरक्षित रखा जा सके।

3. <u>योजना की रूप–रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया :–</u>

3.1 योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना अंतर्गत जनजातीय संस्कृति से जुड़े पवित्र स्थलों यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास हेतु घेराबंदी कराते हुए आवश्यकतानुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण यथा पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैण्डस्केपिंग एवं गार्डनिंग, ड्राईव–वे, वॉक–वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदिवारी पर जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि कार्य किए जाएँगे।

3.2 राज्य में सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रति ईकाई अधिकतम 5.00 करोड़ रूपये (पांच करोड़ रूपये) की राशि तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध व्यय की जाएगी।

3.3 पूर्व में स्वीकृत सरना/जाहेरस्थान/हडगड़ी एवं मसना की घेराबंदी की परियोजनाओं में योजना अंतर्गत संरक्षण एवं विकास की दृष्टिकोण से उक्त पवित्र स्थलों में केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण यथा पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैण्डस्केपिंग एवं गार्डनिंग, ड्राईव–वे, वॉक–वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदिवारी पर जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि संबंधी योजना स्वीकृत किया जाएगा।

3.4 योजना हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को वित्त नियमावली के नियम 245 द्वारा क्षान्त करते हुए रू० 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) तक की योजनाओं यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास हेतु घेराबंदी कराते हुए आवश्यकतानुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण यथा पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैण्डस्केपिंग एवं गार्डनिंग, ड्राईव–वे, वॉक–वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदिवारी पर जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि का कार्यान्वयन अन्य उपयोजना क्षेत्र में संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में संबंधित परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० के देख–रेख में ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से कराया जाएगा।

3.5 ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश के आलोक में ग्राम सभा का आयोजन कर लाभुक समिति का चयन किया जाएगा। जिन ग्रामों में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त परम्परागत ग्राम–प्रधान/मानकी मुण्डा/पाहन/मांझी हैं, उनकी अध्यक्षता में लाभुक समिति गठित

की जाएगी। लाभुक समिति द्वारा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा तथा इनमें से किन्हीं दो के पदनाम से बैंक/डाकघर में संयुक्त खाता खोलते हुए योजना में प्राक्कलन के अनुरूप किए गए कार्य के विरूद्ध भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

3.6 लाभुक समिति में केवल और केवल संबंधित ग्राम के आदिवासी ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य लाभुक समिति के सदस्य होंगे। लाभुक समिति में न्यूनतम 7 सदस्य एवं अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

3.7 लाभुक समिति में विवाद होने की स्थिति में कार्य खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा।

3.8 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये से अधिक राशि की योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा।

3.9 भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड का ज्ञपांक–318(भ०), दिनांक–30.11.2017 के आलोक में 3.00 करोड़ रूपये से अधिक राशि की निर्माण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा किया जाएगा तथा 3.00 करोड़ रूपये से कम राशि का निर्माण कार्य एवं सभी तरह के मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य की योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग (भवन प्रमण्डल) द्वारा किया जाएगा।

3.10 योजना अन्तर्गत प्रस्तावित स्थलों पर Eco-Friendly निर्माण कार्य किया जाएगा।

3.11 भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अभिलेख में दर्ज खतियानी जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना स्थल के संपूर्ण संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जाएगा।

3.12 योजना का क्रियान्वयन तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप किया जाएगा।

3.13 परियोजना निदेशक आई०टी०डी०ए०/जिला कल्याण पदाधिकारी योजना का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन भेजने से पहले सुनिश्चित हो लेंगे कि किसी भी स्थिति में योजना का दोहरीकरण ना हो।

3.14 तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर जिलों से प्राप्त योजना प्रस्ताव की सूची पर विभाग द्वारा विभागीय मंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा। तद्नुपरान्त अनुमोदित सूची के योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञाप सं०–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में प्रदत्त किया जाएगा।

3.15 योजना अन्तर्गत कार्य संबंधित परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/जिला कल्याण पदाधिकारी के प्रशासनिक देख–रेख में किया जाएगा। योजना का अनुश्रवण अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (ओ०एस०पी०) क्षेत्र में जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (टी०एस०पी०) क्षेत्र में परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० के द्वारा किया जाएगा।

3.16 परियोजना निदेशक आई०टी०डी०ए० / जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उनके संबंधित जिले में पूर्व में पूर्ण की गई सभी सरना / जाहेरस्थान / हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी योजनाओं का तथा भविष्य में पूर्ण होने वाली सभी सरना / जाहेरस्थान / हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास से संबन्धित योजनाओं का Geo-tagging किया जाएगा।

3.17 परियोजना निदेशक आई०टी०डी०ए० / जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा पूर्व में स्वीकृत सरना / जाहेरस्थान / हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी की योजनाएँ तथा भविष्य में क्रियान्वित होने वाली सरना / जाहेरस्थान / हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास से संबन्धित सभी योजनाओं का परिसंपति रजिस्टर (Assest Register) का संधारण किया जाएगा।

4 इस योजना का नाम "अनुसूचित जनजातियों के लिए सरना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी " से परिवर्तित करते हुए **"सरना / जाहेरस्थान / हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास"** किया जाता है।

5 पूर्व में निर्गत संकल्प ज्ञापांक–1821, दिनांक–10.08.2011 में जाहेरस्थान / हड़गड़ी / मसना / सरना घेराबंदी योजना से संबंधित तथ्य तथा संकल्प ज्ञापांक–1034, दिनांक– 31.03.2017 विलोपित समझे जाएँगे।

6 चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 200.00 करोड़ रू० (दो सौ करोड़ रू०) का बजटीय उपबंध है। राशि का विकलन जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना हेतु आय–व्यय शीर्ष – "4225 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय – उपमुख्य शीर्ष – 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – लघुशीर्ष – 796 – जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना – उपशीर्ष – 37 – शिक्षा आदिवासियों का जाहेर स्थान / हड़गड़ी / मसना / सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण – 45 – निर्माण कार्य के अन्तर्गत तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना हेतु आय–व्ययक शीर्ष – "4225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय – उपमुख्य शीर्ष – 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – लघु शीर्ष – 277 – शिक्षा – उपशीर्ष– 37 – शिक्षा – आदिवासियों का जाहेरस्थान / हड़गड़ी / मसना / सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण – 45 – निर्माण कार्य के अन्तर्गत होगा।

7 योजना पर दिनांक–29.06.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

09/07/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/सरना सं०सं०–001/2016 (क०),-1375 राँची, दिनांकः–09/7/2021
प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित कि झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। साथ ही 300 अतिरिक्त प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।

09/07/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/सरना सं०सं०–001/2016 (क०),-1375 राँची, दिनांकः–09/7/2021
प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

09/07/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/सरना सं०सं०–001/2016 (क०),-1375 राँची, दिनांकः–09/7/2021
प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज/दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/सरना सं०सं०–001/2016 (क०),-1375 राँची, दिनांकः–09/7/2021
प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/सरना सं०सं०–001/2016 (क०),-1375 राँची, दिनांकः–09/7/2021
प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।